न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

(प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यायलय नूरनगर)

अध्यासित द्वारा:— ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
80 / 21	17.08.2021	09.12.2021

उनवान

1. भगनवानदास
2. लालचन्द पुत्र पुत्रान कुन्दनलाल बादशाह जाति खत्री सिन्धी निवासी वार्ड न. 20 आनन्द नगर कॉलोनी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर, राज0
2. कमल कुमार झिरिवाल पुत्र इन्दरभान जाति तम्बोली निवासी सी—783 बुध विहार शहर अलवर जिला अलवर।

:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49
राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

<u>निर्णय</u>

आज पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय नूरनगर पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि आ.ख.न. 727/0.5400 है. में से 185/774 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा इसी प्रकार आ.ख.न. 733/0.6300 है. में से 129/630 हिस्सा अप्रार्थी नं. 2 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 ने विनिमय विलेख दिनांक 20.11.19 को तहरीर कराकर दिनांक 21.11.19 को अप्रार्थी सं. 1 से पंजीबद्ध कराया हुआ है।

उक्त तबादलानामा विनिमय विलेख वास्ते दर्ज करने नामान्तरकरण पटवारी हल्का दिया तो उन्होने नामान्तरकरण दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि कम्प्यूटर तबादलानामा का नामान्तरकरण नही लेता है। इस संबंध में तहसीलदार किशनगढबास से सम्पर्क किया तो उन्होनें कहा कि इस संबंध में श्रीमान एस.डी.ओ. साहब के यहां प्रार्थना पत्र पेश करो तब ही आपका नामान्तरकरण दर्ज हो पावेगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तबादलानामा क्रमांक 884 दिनांक 21.11.19 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण ने अपना-अपना जबाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सही होना स्वीकार किया। अप्रार्थी नं.1 (तहसीलदार) ने तथ्य को स्वीकार किया कि तबादलानामा का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान के आदेश की आवश्यकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात छाया प्रति जमाबन्दी व तबादलानामा क. 884 दिनांक 21.11.19 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से तबादलानामा पंजिबद्ध कराया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से अपना जबाब मे इस बात को स्वीकार किया है कि कम्प्यूटर तबादलानामा का इन्तकाल नहीं लेता है। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानून संगत वो न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48.49 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण का तबादलानामा/विनिमय पत्र कमांक 884 दिनांक 21.11.19 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 727/0.5400 में से 185/774 हिस्सा एवं ख.न. 733/0.6300 में से 129/630 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, को अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा आ.ख.न. 733/0.6300 है. में से 129/630 भाग जो अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में दर्ज है, को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु तबादलानामा अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर प्रशासन गॉवों के संग अभियान-2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय नूरनगर पर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)